उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-50/2022-23

सरकार

बनाम्

दिनेश कुमार मंडल एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 29/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला मेहरमा थाना काण्ड संख्या-79/2022 दिनांक-08.06.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-3426/अप0शा0 दिनांक-31.08.2022 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रक वाहन सं0-BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0-WB45-3309 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुड्डू, स्थायी पता ग्राम-इरचिट्टा, पो0-फुलची, थाना-गांडेय, जिला-गिरिडीह, वर्तमान पता-जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक वाहन सं0-BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0-WB45-3309, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक वाहन सं0-BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0-WB45-3309, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रक वाहन सं0-BR10PB-5865 के मालिक दिनेश कुमार मंडल, पिता-लालाहो मंडल,

सा0—वार्ड नं0—15 अमरपुर, घोघा, थाना—एकचारी, जिला—भागलपुर, बिहार एवं 2. हाईवा वाहन सं0—WB45-3309, के मालिक हेमन्त कुमार यादव, पिता—पंचानंद यादव, वर्तमान पता सा0—नोकोपाड़ा, रामपुर हाट, थाना—रामपुर हाट, जिला—बीरभूम, पंश्चिम बंगाल, स्थाई पता—सा0—बिरामचक प्रतापपुर, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रक वाहन सं0—BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0—WB45-3309 एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरूद्ध धारा—379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी दिनेश कुमार मंडल का कथन है कि विपक्षी के ट्रक वाहन सं0—BR10PB-5865 में स्टोन चिप्स लदा हुआ था। इस संबंध में पश्चिम बंगाल का चालान था। लेकिन झारखण्ड में उक्त चालान वैध नहीं होने के कारण विपक्षी के वाहन को जप्त किया गया है एवं मामला दर्ज किया गया। विपक्षी एवं चालक ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय से अग्रिम जमानत करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के जप्त वाहन पर राजसात की प्रक्रिया चलाना उचित नहीं है। उन्होंने जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी हेमन्त कुमार यादव का कथन है कि विपक्षी के हाईवा वाहन सं0—WB45-3309 में स्टोन चिप्स लदा हुआ था। इस संबंध में पश्चिम बंगाल का चालान था। लेकिन झारखण्ड में उक्त चालान वैध नहीं होने के कारण विपक्षी के वाहन को जप्त किया गया है एवं मामला दर्ज किया गया। विपक्षी एवं चालक ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय से अग्रिम जमानत करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के जप्त वाहन पर राजसात की प्रक्रिया चलाना उचित नहीं है। उन्होंने जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध स्टोन चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। मेहरमा थाना काण्ड

संख्या–79/2022 दिनांक–08.06.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर मेहरमा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण का जप्त 1. ट्रक वाहन सं0–BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0–WB45-3309 के द्वारा अवैध रूप से स्टोन चिप्स का उठाव कर परिवहन कर रहा था। विपक्षीगण के द्वारा वाहन पर लदे स्टोन चिप्स के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से स्टोन चिप्स चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि जुर्माना, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
BR10PB-5865	00	900	30780.00	61560.00	00	61560.00
WB45-3309	00	800	27360.00	54720.00	00	54720.00

एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. ट्रक वाहन सं0–BR10PB-5865 एवं 2. हाईवा वाहन सं0–WB45-3309 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–50/2022–23

सरकार

बनाम्

दिनेश कुमार मंडल एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 16/11/22

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

मामला मेहरमा थाना काण्ड संख्या–79/2022 दिनांक–08.06.2022 से संबंधित है।

निम्नांकित विपक्षी की ओर से जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए उसके सामने अंकित जुर्माना राशि का रसीद, दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र के रूप में कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है :–

क्र0	विपक्षी का नाम	जप्त वाहन	जुर्माना राशि	जमानत बंध पत्र के रूप में वाहन
1.	दिनेश कुमार मंडल	BR10PB-5865	61560.00	BR10GB-0518
2.	हेमन्त कुमार यादव	WB45-3309	54720.00	BR10GB-1500

अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमें लदे स्टोन चिप्स को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 16/11/22

उपायुक्त,
गोड्डा। 16/11/22

D.O. No.-146
18.11.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.22 11:16:26 +05:30
Location: 172.25.48.1